राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – 849/2008/धौलपुर.

वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, भरतपुर. .....अपीलार्थी.

बनाम

मैसर्स कैला देवी ट्रेडर्स, बसई नवाब, धौलपुर. .....प्रत्यर्थी.

एकलपीठ

श्री मनोहर पुरी, सदस्य

उपस्थित : :

श्री एन. के. बैद,
उप राजकीय अभिभाषक .....अपीलार्थी की ओर से.
श्री जतिन हरजाई, अधिकृत प्रतिनिधि .....प्रत्यर्थी की ओर से.

दिनांक : 06/08/2015

निर्णय

1. यह अपील राजस्व द्वारा उपायुक्त (अपील्स), वाणिज्यिक कर विभाग, भरतपुर (जिसे आगे **'अपीलीय अधिकारी'** कहा गया है) के अपील संख्या 150/उपा–भरत/07–08/आरएसटी में पारित किये गये आदेश दिनांक 28.12.2007 के विरूद्ध राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **'वेट अधिनियम'** कहा गया है) की धारा 83 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गयी है। अपीलीय अधिकारी ने उक्त आदेश से वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, भरतपुर (जिसे आगे **'सक्षम अधिकारी'** कहा जायेगा) के वेट अधिनियम की धारा 76(6) के तहत पारित किये गये आदेश दिनांक 24.07.2007 के विरूद्ध प्रस्तुत अपील को स्वीकार किया है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि सक्षम अधिकारी द्वारा ट्रांसपोर्ट चैकिंग के दौरान दिनांक 20.07.2007 को पीपला गांव में राज्य की सीमांत पुलिस चौकी के पास वाहन (टैंकर) संख्या यू.पी.80/पी–9955 को चैक किये जाने पर वाहन चालक/माल प्रभारी द्वारा वाहन में परिवहनित माल 'सरसों तेल' से सम्बन्धित मैसर्स महाकाली टैंकर सर्विस, आगरा की बिल्टी संख्या 579 दिनांक 19.07.2007 तथा मैसर्स राजेश प्रोडक्ट्स, टोंक का बिल नं0 RP057 दिनांक 19.07.2007 प्रस्तुत किया। जिस स्थान पर वाहन को चैक किया गया, वह मार्ग बसई नवाब (प्रत्यर्थी का व्यवसाय स्थल) नहीं जाने के आधार पर सक्षम अधिकारी द्वारा माल उत्तरप्रदेश ले जाना मानते हुए कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। उक्त नोटिस की पालना में प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा जाहिर किया गया कि वाहन चालक को पीपला गांव से श्री फूलसिंह से रूपये 5000/– लाने के निर्देश दिये गये थे, अतः वह रूपये लेने पीपला गांव गया था। सक्षम अधिकारी ने उक्त जवाब को बाद की सोच मानते हुए माल का परिवहन उत्तरप्रदेश राज्य को किया जाना तथा दस्तावेज राजस्थान राज्य के

लगातार.....2

बनाने के आधार पर मिथ्या दस्तावेजों से माल परिवहन के आधार पर वेट अधिनियम की धारा 76(6) के अन्तर्गत शास्ति रूपये 2,39,225/– का आरोपण आदेश दिनांक 24.07.2007 से किया गया। सक्षम अधिकारी के उक्त आदेश के विरूद्ध प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत अपील अपीलीय अधिकारी के आदेश दिनांक 28.12.2007 से स्वीकार किये जाने से व्यथित होकर यह अपील राजस्व द्वारा प्रस्तुत की गयी है।

3. बहस के दौरान विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक द्वारा सक्षम अधिकारी के आदेश का समर्थन करते हुए कथन किया गया कि वक्त जांच माल का परिवहन निर्धारित मार्ग से ना किया जाकर अन्य मार्ग से किया जा रहा था, जो कि उत्तरप्रदेश जाने का मार्ग है। इस प्रकार प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा करापवंचन की नियत से अन्तर्राज्जीय विक्रय को स्थानीय विक्रय दर्शाया गया था। सक्षम अधिकारी द्वारा वाहन चालक के माल करापवंचन के इरादे से मिथ्या व कूटरचित बिल से परिवहनित किये जाने के कारण विधिनुसार नोटिस जारी किया जाकर एवं प्रत्यर्थी व्यवहारी को सुनवाई का अवसर प्रदान कर वेट अधिनियम की धारा 76(6) के तहत शास्ति का आरोपण किया गया था। अपीलीय अधिकारी द्वारा प्रकरण के तथ्यों को नजरअंदाज करते हुए व्यवहारी के दस्तावेजों की जांच एवं करापवंचन का उद्देश्य प्रमाणित किये बिना ही सशक्त अधिकारी द्वारा शास्ति आरोपित किया जाना मानते हुए सक्षम अधिकारी के आदेश को अपास्त किये जाने में विधिक भूल की गई है। उक्त कथन के साथ विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक ने राजस्व की अपील स्वीकार की जाकर अपीलीय अधिकारी का आदेश अपास्त किये जाने का अनुरोध किया।

4. बहस के दौरान प्रत्यर्थी की ओर से विद्वान अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा कथन किया गया कि वक्त जांच वाहन में परिवहनित माल सरसों तेल से सम्बन्धित बिल व बिल्टी सक्षम अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत कर दिये गये थे, जिसमें माल से सम्बन्धित समस्त विगत अंकित थी। इसमें व्यवहारी का करापवंचन का कोई आशय नहीं था। विद्वान अधिकृत प्रतिनिधि का कथन है कि सक्षम अधिकारी द्वारा माल से सम्बन्धित बिल/दस्तावेज को मिथ्या एवं बोगस प्रमाणित करने हेतु किसी प्रकार की कोई जांच नहीं की गई है। ऐसी स्थिति में सक्षम अधिकारी द्वारा वाहन चालक के पीपला गांव में उपस्थित होने के आधार पर व्यवहारी की करापवंचन की मंशा एवं बिल/बिल्टी को मिथ्या व बोगस मानते हुए शास्ति का आरोपण किये जाने में विधिक भूल की गई थी। अतः अपीलीय अधिकारी द्वारा सक्षम अधिकारी के उक्त विधिक आदेश को अपास्त किये जाने में कोई भूल नहीं की गई है। विद्वान अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा राजस्व द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार किये जाने का अनुरोध किया गया।

लगातार.....3

5. उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

6. प्रकरण में सक्षम अधिकारी द्वारा वाहन की चैकिंग के दौरान वाहन में परिवहनित सरसों तेल का विक्रेता द्वारा जारी नियमित बिल संख्या 057 दिनांक 19.07.2007 एवं बिल्टी संख्या 579 दिनांक 19.07.2009 मौजूद थे। उक्त बिल के अनुसार माल टोंक से बसईनवाब (धौलपुर) को विक्रय किया गया था। बिल पर क्रेता/विक्रेता के टिन नं0, माल का पूर्ण विवरण मय कीमत अंकित था तथा माल कर चुका होना दर्शाया हुआ था। सक्षम अधिकारी द्वारा उक्त वाहन नियमित मार्ग की बजाय उत्तरप्रदेश जाने वाले रास्ते पर खड़ा होने के आधार पर करापवंचन की आशंका के मद्देनजर शास्ति का आरोपण किया गया है। सक्षम अधिकारी की पत्रावली में वाहन चालक श्री रामचित्र एवं श्री फूलसिंह के शपथपत्र संलग्न हैं, जिनमें वाहन चालक के पीपला गांव जाने का शपथपूर्वक स्पष्टीकरण दिया गया है। इसके अतिरिक्त यह भी उल्लेखनीय है कि वेट अधिनियम के अन्तर्गत ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि वाहन का परिवहन निर्धारित मार्ग से किया जाना ही बाध्यकारी है। वाहन चालक अथवा व्यवहारी अपनी सुविधा के अनुसार माल का परिवहन किसी भी रास्ते से करने के लिये स्वतंत्र हैं। अतः सक्षम अधिकारी का यह आधार कि माल का परिवहन निर्धारित मार्ग से नहीं किया जा रहा था, प्रथम दृष्टया बलहीन एवं अस्वीकार्य है। सक्षम अधिकारी द्वारा वक्त जांच प्रस्तुत किये गये दस्तावेजों को किसी प्रकार की जांच कर असत्य/बोगस प्रमाणित नहीं किया गया है। अतः सक्षम अधिकारी द्वारा प्रत्यर्थी व्यवहारी के विवादित माल असत्य/बोगस दस्तावेज/बिल से परिवहनित किया जाना प्रथम दृष्टया प्रमाणित किये बिना केवल नियमित मार्ग से वाहन का परिवहन नहीं होने के आधार पर वेट अधिनियम की धारा 76(2) के विधिक प्रावधानों का उल्लंघन मानते हुए धारा 76(6) के तहत शास्ति का आरोपण किया जाना अविधिक एवं अनुचित है।

7. उक्त विवेचन के आधार पर अपीलीय अधिकारी द्वारा सक्षम अधिकारी के शास्ति आरोपण के अविधिक आदेश को अपास्त किये जाने में किसी प्रकार की त्रुटि नहीं की गई है। अतः अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित नहीं है।

8. परिणामस्वरूप राजस्व द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार की जाती है तथा अपीलीय अधिकारी का अपीलाधीन आदेश दिनांक 28.12.2007 यथावत रखा जाता है।

9. निर्णय सुनाया गया।

06/8/2015

(मनोहर पुरी)
सदस्य